

21-8-14	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 13-11-14 30/21/14
13-11-14	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक...12-2-15... को पेश हो। श्री रीडर
12-2-15	सहायक कलक्टर माण्डल वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी से 01 से 05 तक की रकम - रकम, वार तीन बार आवाने लगाई गई अनुपास्यत होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 14-5-15 को पेश हो।
10-7-15	पत्रावली समुकाम लोक अदालत के मय वादवादी पेश हुई। प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरुद्ध दिनांक 12-2-15 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं। वादीगणों के सुनना गया। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत। स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर वादवादी स्वीकार विदा जाकर इस आशय की शर्तों निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम वादवादी की शर्त प्रस्ताव अंतराजो नं. 1837/89 रकबा 1.5 किरवा 899 रकबा 0.6 किरवा व्युत्त विदा 0.8 रकबा 01 बीघा में वादीगणों के एक दिरसे पर विरुद्ध प्रकाश की खांदा रुपावट एवं दखलदारी प्रतिवादीगणों द्वारा नहीं की जाये। डिप्पी जारी है। आज यह निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली पेशल सुमार होकर नमूने से वादवादी

न्यायालय उपखण्ड
पीठासीन अधिकारी
कैम
लेहर
दावा बाबत
मुकदमा नम्बर
निर्णय दिनांक
वादी की ओ
से
मा
और दिव